दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम

CIN: U31200UP2003SGC027460 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक : 6675/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/डी0एफ0सी0 दिनांक 05/07/2018

ई-मेल द्वारा प्रेषित

अति महत्वपूर्ण

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

विषय :– डिपोजिट कार्यों के सापेक्ष धनराशि पर उपभोक्ता (फर्म) द्वारा निगम के PAN: AACCD0695D पर टी0डी0एस0 की कटौती करने पर इकाईयों द्वारा डी0डी0 इत्यादि स्वीकार न करने के सम्बन्ध में।

संज्ञान में आया है कि कुछ उपभोक्ताओं (फर्म) द्वारा डिपोजिट कार्यों के सापेक्ष जमा करायी जाने वाली धनराशि में टी0डी0एस0 की कटौती की जा रही है एवं बाकी की धनराशि जमा करायी जाने पर सम्बन्धित इकाई द्वारा डी0डी0 इत्यादि भ्रांतिवश स्वीकार नहीं किये जा रहें है जिससे उन उपभोक्ताओं (फर्म) को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं साथ ही साथ निगम को प्राप्त होने वाली निधि अवरूद्ध हो रही है। यहाँ अवगत कराना है कि डिपोजिट कार्यों के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 194C में **02 प्रतिशत की दर** से आयकर कटौती (टी0डी0एस0) का प्रावधान है।

अतः डिपोजिट कार्यों में तीव्र प्रगति लाने हेतु निगम हित में पुनः आदेशित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं (फर्म) द्वारा डिपोजिट कार्यों के सापेक्ष धनराशि पर **02 प्रतिशत** की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जा रही है, उनसे बाकी धनराशि के डी0डी0 इत्यादि स्वीकार कर लिये जायें, जिससे वह धनराशि निगम मुख्यालय को अविलम्ब प्राप्त हो जाये तथा उपभोक्ताओं (फर्म) द्वारा काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि को उनको निर्गत की जाने वाली रसीद पर अनिवार्यता अंकित कर दी जाये एवं उक्त टी0डी0एस0 की धनराशि को **लेखाशीर्ष 27.425** में लेखांकित भी कर लिया जाये। उपभोक्ताओं (फर्म) को अनिवार्यता निगम के पैनकार्ड (PAN) की छायाप्रति अवश्य उपलब्ध करायी जाये जिससे काटी गयी टी0डी0एस0 की धनराशि उपभोक्ताओं (फर्म) द्वारा निगम के **PAN AACCD0695D** पर क्रेडिट की जा सके। तिमाही अन्त के पश्चात् सम्बन्धित उपभोक्ताओं (फर्म) से उनके द्वारा काटे गये टी0डी0एस0 के विरूद्ध फॉर्म 16A अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाये एवं लेखों से मिलान करने के पश्चात् सम्बन्धित माह के मासिक लेखे के साथ फॉर्म 16A प्रति संलग्न (काटे गये टी0डी0एस0 के विवरण सहित) कर अपने परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय में भी प्रेषित किया जाये।

उक्त आदेशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निगम के PAN AACCD0695D (पैनकार्ड) की छायाप्रति।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /प्र0नि0/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/दिनांक /07/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकि/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।
3. उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षे0ले0का0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झांसी/बांदा को इस आशय से प्रेषित कि इकाईयों के मासिक लेखों में लेखाशीर्ष 27.425 की प्रविष्टियों मिलान, फॉर्म 16A से कर, फॉर्म 16A की प्रति निगम मुख्यालय भी प्रेषित की जायें।
4. श्री ज्ञान प्रकाश कटियार, Dy.CPM/DFCCIL/Kanpur IRSEE, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उनके पत्रांक दिनांक 26.06.2018 के सन्दर्भ में प्रेषित।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

20 (G.M.F)

Scanned by CamScanner

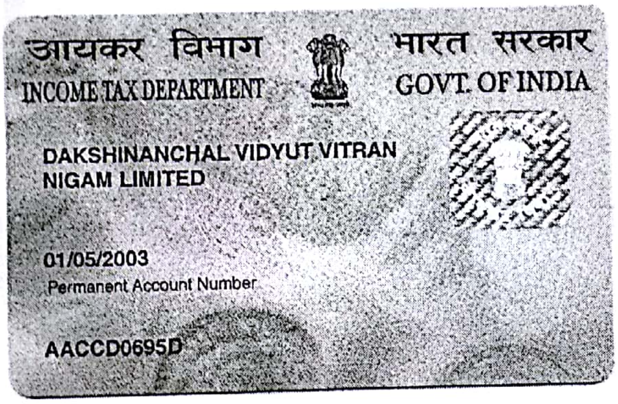
आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
DAKSHINANCHAL VIDYUT VITRAN
NIGAM LIMITED
01/05/2003
Permanent Account Number
AACCD0695D

Sixth Digit is ZERO

Scanned by CamScanner